पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई –मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/गिर/चू.प- 1 दिनांक:

सेवा में : अंबुजा सीमेंट लि
अंबुजानगर, 362 715
तालुका - कोडीनार, जिला - गिर सोमनाथ, गुजरात
e mail - maheshkumar.jain@adani.com

विषय: गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले की सूत्रापाडा तालुका में स्थित आपकी लोढ़वा चूनापत्थर एवं मार्ल खान, क्षेत्रफल- 505.6839 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग/एम.सी.डी.आर निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.10.2022 को श्री मयूर गलोरिया, खान प्रबन्धक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-392(360)(15)/2021-22 GNR दिनांक 07.02.2022 के द्वारा अनुमोदित संशोधित खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 6.2.2.2 के अनुसार वर्ष 2021-22 में खान पर 900 मी. **Fencing** लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि 640 मी. **Fencing** ही लगाई गई है। (२) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 6.2.3.2 के अनुसार वर्ष 2021-22 में खान के पर्यावरण सुधार हेतु 1000 पौधें लगा कर वृक्षारोपण करना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि 300 पौधें ही लगाए गए हैं ।

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(मनीष गुप्ता)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो